

## राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

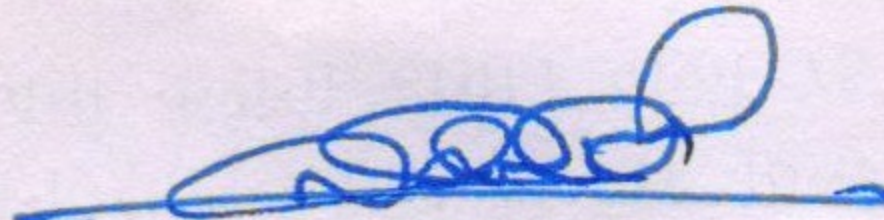
(भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला श्रीगंगानगर (राज.)

### ढेके पर बीजोत्पादन हेतु निविदा सूचना

सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान) के चक 33 पीबीएन (702.5 एकड सिंचित क्षेत्र) को ढेके के माध्यम से कृषि फसलों (खरीफ 2015 व रबी 2015-16 की फसलों) के बीज उत्पादन हेतु इच्छुक निविदादाताओं से एक वर्ष 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक देने के लिये निविदाएं दिनांक 16.12.14, 06.01.2015 व 20.1.2015 को आमंत्रित की गई थी, जो कि किन्ही कारणों से निरस्त कर दी गई है। एकबार पुनः पूर्व निर्धारित नियम एवं शर्तों पर पुनः दिनांक 17.02.15 व 17.3.2015 को आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) से भी डाउनलोड की जा सकती है।



समन्वयक

## राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)  
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़  
जिला श्रीगंगानगर (राज.)  
01509-223873 (ऑफिस)  
फैक्स-01509-223877 (ऑफिस)

### निविदा प्रपत्र

ठेके के माध्यम से केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर की चक नं. 33 पीबीएन 702.50 एकड़ जमीन पर बीज उत्पादन के लिये दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

ठेके की अवधि एक वर्ष (1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक)

| क्र.सं. | फसल सीजन    | फसल का नाम                  | चक/एरिया (एकड़ में) | दर प्रति एकड़ रुपये में<br>702.5 एकड़ के लिये<br>(अंको व शब्दों में लिखे) |
|---------|-------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|         |             |                             |                     | भूसा सहित                                                                 |
| 1.      | खरीफ- 2015  | धान , उड़द ज्वार,<br>ग्वार, | 375 एकड़<br>लगभग    |                                                                           |
| 2.      | रबी-2015-16 | सरसों, चना, गेहूँ, जौ       | 702.5 एकड़          |                                                                           |

धरोहर राशि रुपये ..... डी.डी. नं. .... दिनांक ..... बैंक .....

निविदादाता का नाम .....

पूरा पता .....

फोन नं. ....

पेन नं. .... (प्रतिलिपि सहित)

वोटर आइडी ..... (प्रतिलिपि सहित)

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि हम/हमारी फर्म निविदा की नियमों व शर्तों से सहमत है, जो कि मैंने स्वयं पढ़ ली हैं तथा समझ ली हैं। मेरी पूर्ण सहमति है इसलिए हस्ताक्षर कर निविदा प्रेषित है।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
नाम व पता

**केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ में फार्म भूमि पर ठेके के माध्यम से बीज उत्पादन  
कार्यक्रम के नियम व शर्तें**

1. फार्म भूमि पर बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु ठेके की अवधि एक वर्ष 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक अथवा रबी 2014-15 फसल से जमीन खाली होने से आगे रबी 2015-16 फसल खाली होने तक रहेगी। एक वर्ष में खरीफ व रबी की फसल उगाई जायेगी।
2. ठेकेदार को फार्म पर बीज उत्पादन हेतु पूरा चक/चकों की जमीन का उपयोग करने का अधिकार एक वर्ष के लिए ही होगा। ठेकेदार को केवल बीज उत्पादन के लिये निर्धारित चक/एरिया को काम में लेना होगा। चक/एरिया पर सदैव फार्म का ही हक होगा। ठेके की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ठेकेदार का वह वर्तमान ठेका स्वतः रद्द हो जायेगा।
3. फार्म का चक/जमीन जहां है जैसी है उसी स्थिति में आऊटसोर्सिंग के माध्यम से बीज उत्पादन कार्य के लिये दी जायेगी। निविदा पश्चात् ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा की मांग मान्य नहीं होगी। ठेके पर लिये गये चक/जमीन के लिये निर्धारित नहर का मोघा (आऊटलेट) उसी में उपयोग के लिये रहेगा। यदि चक पर ट्यूबवैल आदि साधन है तो ठेकेदार सिंचाई के लिये अपने स्वयं के संसाधन एवं खर्च से उसका उपयोग फसल सिंचाई हेतु कर सकेगा।
4. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत फार्म की जमीन पर बीजोत्पादन की दर अनुसार एक वर्ष के ठेके के लिये जितनी राशि निश्चित होगी तीन किश्तों में निम्न प्रकार जमा करानी होगी।
  1. पहली किश्त (कुल निश्चित धनराशि का 1/3) ठेका स्वीकृति के तुरन्त बाद 7 दिन के अन्दर जमा करानी होगी।
  2. दूसरी किश्त (कुल निश्चित धनराशि का 1/3) 31 अक्टूबर 2015 तक जमा करानी होगी।
  3. तीसरी किश्त (कुल निश्चित धनराशि का 1/3) 31 मार्च 2016 तक जमा करानी होगी।निर्धारित तिथि के तीन दिन के अन्दर देय किश्त का ठेकेदार द्वारा भुगतान न देने पर अथवा देरी से किये गये भुगतान पर निर्धारित तिथि के बाद 18% की दर से ब्याज देय होगा। यदि निर्धारित तिथि के एक माह तक ब्याज समेत देय धनराशि ठेकेदार द्वारा जमा नहीं की जाती है तो ठेकेदार की पूर्व में जमा समस्त राशि जब्त कर ठेके को निरस्त किया जा सकता है।
5. निविदा दर स्वीकृति के बाद कार्य आदेश (Work Order) जारी किया जायेगा, जिसके जारी होने के सात दिवस के अन्तर्गत प्रथम किश्त की पूर्ण राशि ठेकेदार द्वारा जमा करवानी होगी तथा बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु संविदा (एग्रीमेन्ट) जो कि रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करना होगा जिसका खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। संविदा की मूल प्रति निगम के पास ही रहेगी तथा प्रमाणित प्रति ठेकेदार को दी जाएगी।
6. निविदा में भाग लेने हेतु धरोहर राशि रु. 5,00,000/- (रु. पांच लाख मात्र ) निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के नाम और सूरतगढ़ में देय हो, जमा कराना होगा। निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि चैक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। सफल ठेकेदार की धरोहर राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित किया जायेगा। सुरक्षा राशि स्वीकृत निविदा की कुल राशि का 3 प्रतिशत होगी, जो ठेके के अन्तर्गत समस्त कार्य सन्तोषजनक पूर्ण होने पर बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। यदि सुरक्षा राशि धरोहर राशि से कम रहती है तब ऐसी स्थिति में पूर्ण धरोहर राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।

25. ठेकेदार द्वारा फार्म की जमीन पर उत्पादित रा बीज की राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा निश्चित समर्थित मूल्य पर साफ रा बीज की मात्रा पर किया जायेगा। यदि किसी फसल का समर्थित मूल्य निश्चित नहीं होगा तब उस स्थिति में निर्धारित स्थानीय मण्डी में अधिकतम बीज आवक की निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बंधित उत्पाद के आवक का अधिकतम मूल्य के औसत के आधार पर रा बीज का भुगतान किया जायेगा, जिसका समय इस प्रकार होगा:—  
धान— 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक, उड़द, ज्वार व ग्वार — 1 से 31 अक्टूबर, सरसों — 16 मार्च से 15 अप्रैल, चना — 5 अप्रैल से 15 मई, गेहूं — 11 अप्रैल से 10 मई तथा जौ — 25 मार्च से 24 अप्रैल होगा। यदि सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त बोनस दिया जाता है तो वह फार्म द्वारा देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त बीज उत्पादन हेतु निम्न प्रकार से प्रीमियम देय होगा :—

उपरोक्तानुसार निश्चित किये राँ-सीड के  
मूल्य का विधायन उपरान्त प्राप्त बीज मात्रा  
पर

- |                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| 1.— न्यूक्लियस बीज से प्रजनक बीज उत्पादन | 10 % |
| 2.— प्रजनक बीज से आधारीय बीज उत्पादन     | 7 %  |
| 3.— आधारीय बीज से प्रमाणित बीज उत्पादन   | 5 %  |
- उपरोक्त प्रीमियम का भुगतान संतोषजनक बीज परीक्षण रिपोर्ट/ग्रो आऊट टेस्ट आने के उपरान्त किया जाएगा।
26. ठेकेदार को फार्म द्वारा राँ-सीड के भुगतान की अवधि निम्नप्रकार रहेगी:—  
(1.) कुल राँ-सीड की कीमत का 80 प्रतिशत भुगतान राँ-सीड के फार्म गोदाम पर सही स्थिति में जमा करने पर 30 दिन के अन्दर किया जायेगा।  
(2.) शेष 20 प्रतिशत राँ-सीड की राशि व बीज पर दिये जाने वाले प्रीमियम का भुगतान बीज परीक्षण की संतोषजनक रिपोर्ट के पश्चात् 15 दिन के अन्दर किया जायेगा।
27. ठेकेदार को फसलों की बुवाई-कटाई आदि कार्य निर्धारित समय में अपने खर्चे से करना होगा।
28. ठेकेदार द्वारा लगाये गये व्यक्तियों/श्रमिकों की सूची नाम, पते व नमूना हस्ताक्षर/अंगूठा निशान सहित ठेकेदार को फार्म कार्यालय में जमा करनी होगी।
29. ठेकेदार अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के निजी सामान, उपकरण, वाहन आदि की चोरी, क्षति या डकैती आदि के लिए निगम जिम्मेवार नहीं होगा।
30. ठेके के दौरान यदि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि व दुर्घटना होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
31. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मियों/व्यक्तियों की अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के लिए ठेकेदार खुद जिम्मेदार होगा। ठेकेदार द्वारा अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि निगम कर्मचारी से किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की जाती है तो निगम ठेकेदार के विरुद्ध समुचित कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।
32. टीडीएस, ईपीएफ व अन्य वैधानिक दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वहन किये जायेंगे।
33. यदि किसी चक में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/थेड़ी है तो ठेकेदार द्वारा उक्त क्षेत्र से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी तथा कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की जाएगी।
34. ठेकेदार द्वारा ठेके पर लिये गये चक/एरिया को सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
35. ठेकेदार व निगम के बीच में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामला आर्बिट्रेशन हेतु अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जायेगा

तथा उनके द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित/मनोनित व्यक्ति के द्वारा किया गया निर्णय दोनों पक्षों पर अन्तिम व मान्य होगा एवं उसके बाद किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सूरतगढ़ होगा।

36. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निदेशक को निरस्त करने का अधिकार होगा।
37. ठेकेदार ने यह बात भली-भांति समझ ली है कि उपरोक्त कार्य हेतु आऊटसोर्सिंग की जाने वाली गतिविधियों को सम्पन्न करने हेतु जो भूमि फार्म द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी, उसके बारे में वह किसी भी व्यक्ति, संस्था व प्राधिकरण को अपना झूठा हक बताकर सम्बन्धित जमीन का रेहन, गिरदावी इत्यादि नहीं करेगा। यदि ठेकेदार ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

## राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ

जिला श्रीगंगानगर (राज.)

01509-223873 (ऑफिस)

फैक्स-01509-223877 (ऑफिस)

### न्यूनतम उपज सीमा

| क्रम सं. | चक नं.      | फसल का नाम/एरिया | फार्म द्वारा निर्धारित<br>न्यूनतम उपज सीमा<br>प्रति एकड़ (क्विंटल में) |
|----------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          | 33 पीबीएन   |                  |                                                                        |
|          | खरीफ 2015   | धान — 200 एकड़   | 16.00                                                                  |
|          |             | उड़द — 75 एकड़   | 1.60                                                                   |
|          |             | ज्वार — 50 एकड़  | 2.00                                                                   |
|          |             | ग्वार — 50 एकड़  | 2.00                                                                   |
|          | कुल क्षेत्र | 375 एकड़         |                                                                        |
|          | रबी 2015-16 | सरसों — 100 एकड़ | 4.00                                                                   |
|          |             | चना — 325 एकड़   | 3.20                                                                   |
|          |             | गेहूं — 100 एकड़ | 12.00                                                                  |
|          |             | जौ — 177.5 एकड़  | 10.00                                                                  |
|          | कुल क्षेत्र | 702.5 एकड़       |                                                                        |
|          |             |                  |                                                                        |

निविदादाता के हस्ताक्षर